न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/155/2018	2018/00284	05.09.2018	21.09.2021

'01–गोपाल पुत्र टुण्डा जाति खाती निवासी ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर

–अपीलांट

बनाम

01– राज0सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर।

–रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कठूमर दिनांक 24.7.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 2018/02

उपस्थितः–

01–श्री अमरचंद चौधरी –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 24.07..2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम सौंखरी की सरकारी गैर मुमकिन चारागाह आराजी ख.नं. 2675 रकबा 10.75 है0 में से 1.51 है0 पर पश्चावर्ती अवैध कब्जा करने/अतिक्रमण करने पर की गई सजा व पैनेल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सौंखरी की सरकारी गैर मुमकिन चारागाह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए पटवारी हल्का सौंखरी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 21.5.2018 को अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने 03 माह की सजा व पचास गुना पैनेल्टी से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है व पूर्व में अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया गया है तथा किसी प्रकार की सजा से आरोपित नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनरथ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.7.2018 अपास्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस का मनन किया। तहसीलदार कठूमर से विवादित आराजी के अतिक्रमण की वर्तमान रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार कठूमर ने अपनी मौंका रिपोर्ट दिनांक 10.01.2019 में अंकित किया है कि "ग्राम सौंखरी के विवादित आराजी खसरा नम्बर 2675 रकबा 10.30 है0 चारागाह में से 1.51 है0 पर सरसों की फसल बोकर अनांधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है। मौंके पर उक्त अराजीयात पर अतिक्रमियान का अतिक्रमण पाया

प्रमाणित फोटो प्रति

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

गया। तहसीलदार कठूमर द्वारा अतिक्रमियान को मौंके से वेदखल किये जाने बावजूद अतिक्रमियान ने प्रश्नगत आराजी से अपना अतिक्रमण नहीं हटाया है। प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्त एंव न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जाता है। तहसीलदार कठूमर को निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91(6)भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं विवादित आराजी से तुरन्त अतिक्रमी का अतिक्रमण हटवायें।

निर्णय प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) ALWAR (RAJ.) अलवर (राज.)

प्रमाणित फोटो प्रति
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज०)